216

समक्ष- न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0 प्र0)

रिवीजन प्र0क्र0 R-2252-I-16/2016

आवेदक:- तिलकराज विजन आत्मज- बंसी लाल उम्र करीबन- 65 वर्ष निवासी- 6110 नेपियर टाउन, जबलपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

अनावेदक :- मोहम्मद अशरफ आत्मज- अब्दुल सत्तार निवासी- 1079 नया मोहल्ला तहसील व जिला- जबलपुर (म0 प्र0)

रिवीजन- धारा- 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

श्री प्रेम विश्वकर्मा द्वारा प्रस्तुत 30 MAY 2016 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

आवेदक न्यायालय तहसीलदार पनागर राजस्व निरीक्षक मंडल [illegible] महाराजपुर तहसील पनागर, जिला- जबलपुर के सीमांकन प्रकरण क्रमांक- 77 अ/12- 2015-16 आवेदक मोहम्मद अशरफ [illegible] के प्रकरण में आदेश दिनांक- 27-1-16, सीमांकन कार्यवाही पर आदेश दिनांक 5-4-16 से दुखित होकर यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर निम्नानुसार प्रस्तुत करता है:-

54

// तथ्य //

1· यह कि प्रकरण का संक्षिप्त सार तथ्य यह है कि मौजा कंदरखेड़ा नं0बं0 555 प0ह0नं0 21 रा0नि0मं0 महाराजपुर जिला- जबलपुर की भूमि ख0नं0 6/5 रकबा 2·75। भूमि लगान 22/- रूपये दिनांक - 10-09-85 को आवेदक ने भूमि स्वामी रामेश्वर प्रसाद से रजिस्टर्ड बैनामा के जरिये क्रय की है । क्रय दिनांक से आवेदक उक्त भूमि का मालिक काबिज स्वामी है । राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, जिसपर आवेदक क्रय दिनांक से निरंतर आज भी कृषि कार्य कर रहा है। बंदोबस्त सन 1990-91 में उक्त भूमि के वर्तमान खसरा- 115, 117 एवं 118 हो गये है।

प्रभारी अधिकारी नकल शाखा तहसील कार्यालय पनागर जबलपुर

तहसीलदार पनागर

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2252-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को अनुविभागीय अधिकारी तह. पनागर जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी पनागर</u>**	